

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3283
जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है
ईवी को अपनाना और चार्जिंग अवसंरचना

3283. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) अपनाने की वृद्धि के आंकड़े हैं और यदि हां, तो वाहन के प्रकार, राज्य और उपयोगकर्ता जनसांख्यिकी के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन आंकड़ों की राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना में निर्धारित लक्ष्यों से किस प्रकार तुलना की जाती है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान ईवी चार्जिंग स्टेशनों के राष्ट्रीय नेटवर्क के विस्तार में कितनी प्रगति हुई है, साथ ही नए स्टेशनों की संख्या, सार्वजनिक बनाम निजी स्टेशनों के आधार पर उनका भौगोलिक वितरण वर्गीकरण और चार्जिंग क्षमता कितनी है; और

(घ) ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और इन प्रयासों की गति बढ़ाने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी को किस प्रकार प्रोत्साहित कर रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) केंद्रीकृत वाहन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	वाहन पोर्टल में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या	वाहन पोर्टल में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या	इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रतिशत
2021-22	1,84,44,730	4,60,759	2.50%
2022-23	2,23,31,363	11,85,645	5.31%
2023-24	2,46,37,641	16,82,959	6.83%

(ख) भारी उद्योग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएपी) के तहत कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

(ग) 17 मार्च, 2025 तक विद्युत मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश भर में कुल 26,367 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश भर में 10,019 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

(घ) विद्युत मंत्रालय में सरकार ने 17 सितंबर, 2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं, जिनमें कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल को रेखांकित किया गया है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए व्यापक सुझाव इस प्रकार हैं:

(i) डिस्कॉम को चार्जिंग स्टेशनों को शीघ्र समयसीमा और स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ 150 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन प्रदान करना होगा।

(ii) सरकार/सार्वजनिक प्रतिष्ठान को राजस्व-साझाकरण मॉडल पर 1.0 रुपये/किलोवाट की दर से 10 वर्षों के लिए सार्वजनिक भूमि की पेशकश की जाएगी; और उसी न्यूनतम मूल्य (अर्थात् 1.0 रुपये/किलोवाट) के साथ बोली के माध्यम से निजी प्रतिष्ठानों को सार्वजनिक भूमि का आवंटन किया जाएगा।

(iii) चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए सरकारी भूमि से जुड़ी सार्वजनिक निविदा प्रौद्योगिकी अनुकूल होगी।

(iv) राज्य सरकारें चौबीसों घंटे संचालन के लिए आवश्यक अनुमति सुनिश्चित करेंगी।

(v) 31 मार्च, 2028 तक औसत आपूर्ति लागत (एसीओएस) पर सौर समय (सोलर ऑवर) के दौरान 30% छूट और गैर-सोलर ऑवर के दौरान 30% अधिभार के साथ सिंगल-पार्ट टैरिफ सीमा का प्रावधान।

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और देश में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में तेजी लाने के लिए अखिल भारतीय आधार पर निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं।

i. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रीवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना: 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना को 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया था। यह 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली दो साल की योजना है, जिसका उद्देश्य ई-2पहिया, ई-3पहिया, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता और परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन करना है। इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव योजना में विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए 2,000 करोड़ रुपये की सहायता की परिकल्पना की गई है।

ii. भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (पीएलआई-ऑटो): सरकार ने 23 सितंबर, 2021 को भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु इस योजना को अनुमोदित किया है। यह योजना न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करती है।

iii. एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजना: सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से देश में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य 50 गीगावाट एसीसी बैटरियों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।

iv. पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना: 28 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित इस योजना का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में सहायता करना है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीएस) द्वारा चूक की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

V. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 मार्च, 2024 को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% और पांचवें वर्ष के अंत में 50% का डीवीए हासिल करना होगा।

इसके अलावा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

i. इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है।

ii. बैटरी से चलने वाले वाहनों को ग्रीन लाइसेंस प्लेट दी जाएंगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

iii. राज्यों को ईवी पर सड़क कर की छूट देने का परामर्श देते हुए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिससे ईवी की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

iv. इसके अलावा, राज्य सरकारें ईवी की खरीद पर प्रोत्साहन भी दे रही हैं।
